


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. :- 54/2023 अमानमल वगैरे - बनाम शान्तिदेवी वगैरे.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.24	वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 28.08.24 को पेश हो।	
28.08.24	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 24.09.24 को पेश हो।	
24/9/24	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।	
01.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्राथी द्वारा प्रस्तुत जैर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तथ्यों का अध्ययन करने पर पाया कि उन्होंने उक्त जैर प्रार्थना-पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद में न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी सुमैरपुर में विचाराधीन राजस्व विविध संख्या 34/2020 व 41/2020 अमानमल कन्हैयालाल वगैरे बनाम शान्तिदेवी वगैरे को किसी अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण वाबत पेश किया। चूंकि वर्तमान में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण किसी अन्य स्थान पर हो गया है। जिससे उक्त प्रार्थना-पत्र <i>unfructuous</i> होने से न्यायालय हाजा में चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उक्त प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।</p> <p>पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर, पाली </p>	

